

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

माननीय अतिरिक्त सचिव
21/11/15

माननीय (उपमुख्य) सचिव
पटना-15, दि-21/11/15

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के निमित्त राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उपमुख्य शीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष -800-अन्य व्यय, मांग सं0-39, उपशीर्ष -0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विपत्र कोड- P 2245808000102 विषय शीर्ष -20 03 प्रशिक्षण मद से ₹38,00,000.00 (अड़तीस लाख रू0) आवंटन की स्वीकृति ।

आदेश -स्वीकृत ।

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-22/आ0प्र0 दिनांक -16.04.2015 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि में से आवंटित की जा रही है ।

3. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष -2015-16 में योजना मुख्य बजट शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उपमुख्य शीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष -0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड - P 2245808000102 मांग सं0-39, राज्य योजना स्कीम कोड -DIS-5332 विषय शीर्ष -20 03 प्रशिक्षण मद में मूल बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

उप मुख्य शीर्ष -80-सामान्य

लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय

मांग सं0-39

उपशीर्ष -0102

राज्य योजना स्कीम कोड - DIS-5332

(राशि रूपये में)

क्र0	जिला का नाम	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग	अभ्युक्ति
1	सुपौल	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
2	वैशाली	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
3	शिवहर	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
4	सीतामढ़ी	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
5	खगड़िया	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
6	मधुबनी	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
7	पू0 चम्पारण	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	

8	दरभंगा	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
9	समस्तीपुर	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
10	कटिहार	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
11	सहरसा	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
12	मुजफ्फरपुर	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
13	भागलपुर	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
14	बेगूसराय	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
15	मधेपुरा	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
16	पटना	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
17	सिवान	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
18	गोपालगंज	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
19	बक्सर	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
20	सारण	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
21	नालन्दा	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
22	प० चम्पारण	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
23	पूर्णियाँ	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
24	अररिया	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
25	शेखपुरा	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
26	किशनगंज	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
27	भोजपुर	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
28	लखीसराय	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
29	रोहतास	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
30	कैमूर	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
31	गया	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	

32	औरंगाबाद	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
33	नवादा	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
34	जहानाबाद	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
35	बांका	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
36	मुंगेर	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
37	जमुई	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
38	अरवल	0.00 (शून्य)	1,00,000 (एक लाख)	1,00,000 (एक लाख)	
	कुल योग	0.00 (शून्य)	38,00,000.00 (अड़तीस लाख रू0)	38,00,000.00 (अड़तीस लाख रू0)	

4. यह आवंटन जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के निमित्त कार्यशालाओं/बैठकों एवं Logistic Arrangements पर व्यय हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्रांक-1033 दि0-12.08.2015 एवं पत्रांक-1141 दि0-08.09.2015 के आलोक में आवंटित किया जा रहा है।

5. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति, उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस विभाग को शीघ्र भेज दिया जाय।

6. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष / उपमुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष / उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक -2561वि0(2) दिनांक -17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक -15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

9. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया जाय।

10 इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त(बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(अनिरुद्ध कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक -

/आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग(बजट)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक -

/आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक -

46-

/आ0प्र0, पटना-15, दि0-

30/10/15

प्रतिलिपि आप्त सचिव, माननीया मंत्री, आ0प्र0 विभाग /उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के विशेष सचिव